राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(5)एम.ई./ग्रुप–1/2022 जयपुर, दिनांकः 11 APR 2022

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(216)डीएमई/2016 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा राजस्थान राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में समेकित दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्न दिशा–निर्देश और जारी किए जाते है :–

1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 14.02.2022 "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022 के अनुसार Non Medical Person किसी चिकित्सा संस्थान में डीन/निदेशक/प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्त नही किया जा सकता है।
2. उपलब्ध Medical Persons में से ही वरिष्ठता अनुसार विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। वरिष्ठता क्रम में Medical Person की अनुपलब्धता की दशा में पुनः वही क्रम (Cycle of Rotation) दोहराया जाएगा। परन्तु विभागाध्यक्ष का आचार्य होना भी आवश्यक है (NMC अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 Schedule II B.2 के अनुसार)।

आज्ञा से

(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, डीन–झालावाड़।
6. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव